

# INTERCONNECTION (ADDRESSABLE SYSTEMS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

*Government's new amendments to the Interconnection Regulations should usher in transparency and a more level playing field*

The Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (1 of 2017), namely:

- (i) These regulations may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Third Amendment) Regulations, 2021 (1 of 2021).
- (ii) These Regulations shall apply throughout the territory of India.
- (iii) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

After regulation 4 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as the principal regulations), the following regulation shall be inserted, namely:

**“4A. Compliance to requirements of Addressable System by distributors of television channels.—**

- (1) Every distributor of television channel shall, from such date and after such testing and certification, as may be specified by the Authority by order, deploy such conditional access system and subscriber management system which conform to the requirements as specified in the Schedule IX:

# टेलीकम्युनिकेशन (प्रसारण और केबल) सेवायें इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021

*भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 (2017 का 1) में*

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 (2017 का 1) में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्

- (1) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 (2021 का 1) कहा जा सकता

है।

- (2) ये विनियम पूरे भारत में लागू होंगे।
- (3) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन के तारीख से लागू होंगे।

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 (इसके बाद मूल विनियम के रूप में संदर्भित) के विनियम 4 के बाद निम्नलिखित विनियम शामिल किया जाएगा, अर्थात्

**“4A. टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा एड्रेसेबल सिस्टम की आवश्यकताओं का अनुपालन।**

- (1) टेलीविजन चैनल का प्रत्येक वितरक, ऐसी तारीख से और इस तरह के परीक्षण और प्रमाणीकरण के बाद, जैसाकि प्राधिकरण द्वारा आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, ऐसी कंडीशन एक्सेस सिस्टम और सबस्क्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम को स्थापित करे, जो कि अनुसूची 9 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हो:



**Telecom Regulatory Authority of India**  
(IS/ISO 9001-2008 Certified Organisation)

## POLICY AMENDMENT

Provided that for the conditional access systems and subscriber management systems already deployed before the date of issue of the order referred to in this sub-regulation, the Authority shall specify a separate timeline within which such systems shall get tested and certified to meet the requirements as specified in the Schedule IX.

- (2) If a distributor fails to obtain the certification of the conditional access system and/or subscriber management system deployed in its network within the stipulated timelines, as specified by the Authority under sub-regulation (1), it shall, without prejudice to the terms and conditions of its license or permission or registration, or the Act or rules or regulations or orders made, or directions issued, there-under, be liable to pay, by way of financial disincentive, an amount of rupees one thousand per day for default up to thirty days beyond the due date and an additional amount of rupees two thousand per day in case the default continues beyond thirty days from the due date, as the Authority may, by order, direct:

Provided that the financial disincentive levied by the Authority under this sub-regulation shall in no case exceed rupees two lakhs:

Provided further that no order for payment of any amount by way of financial disincentive shall be made by the Authority unless the distributor has been given a reasonable opportunity of representation against the contravention of the regulations, observed by the Authority:

Provided also that the Authority may direct the broadcasters to disconnect the signals of its television channel after giving written notice of

वशर्ते कि इस उप विनियम में निर्दिष्ट आदेश के जारी होने के तारीख से पहले, पूर्व में तैनात कंडिशनल एक्सेस सिस्टम और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्राधिकरण एक अलग समयरेखा निर्दिष्ट करेगा जिसके भीतर ऐसी प्रणालियों का परीक्षण किया जायेगा और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमाणित किया जायेगा, जैसाकि अनुसूची 9 में निर्दिष्ट है।

- (2) यदि कोई वितरक उप-विनियम (1) के तहत प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने नेटवर्क में लगे कंडिशनल एक्सेस सिस्टम और/या सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम का प्रमाणन प्राप्त करने में विफल रहता है तो यह बिना किसी पूर्वाग्रह के इसके लाइसेंस या अनुमति या पंजीकरण के नियम और शर्तों या अधिनियम या नियम या विनियम या किये गये आदेश, या जारी किये गये निर्देश, वित्तीय निरूत्साह के माध्यम से प्रतिदिन एक हजार रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। देय तिथि से तीस दिनों तक चूक के लिए और प्रति दिन दो हजार रुपये की अतिरिक्त राशि, यदि डिफॉल्ट नियत तारीख से तीस दिनों के बाद भी जारी रहता है, जैसाकि प्राधिकरण, आदेश द्वारा, निर्देश दे सकता है:

वशर्ते कि इस उप-विनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा लगाया गया वित्तीय दंड किसी भी स्थिति में दो लाख रुपये से अधिक नहीं होगा:

वशर्ते यह भी कि प्राधिकरण द्वारा वित्तीय दंड के रूप में किसी भी राशि के भुगतान का कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि वितरक को प्राधिकरण द्वारा देखे गये नियमों के उल्लंघन के खिलाफ प्रतिनिधित्व का उचित अवसर नहीं दिया गया हो:

वशर्ते यह भी कि यदि नियत तारीख से साठ दिनों के बाद भी चूक जारी रहती है तो प्राधिकरण वितरक को तीन सप्ताह

**ABIS**  
ASIA'S BROADCASTING & ENTERTAINMENT SHOW  
www.abis-digital.com

**SCAT 2021**  
SCAT INDIA TRADESHOW • MUMBAI  
21 - 23 October 2021  
www.scatindia.com

**Contact:**  
Mob.: +91-7021850198  
Email: scat.sales@nm-india.com

three weeks to the distributor in case the default continues beyond sixty days from the due date.”

## CONDITIONAL ACCESS SYSTEM (CAS) AND SUBSCRIBER MANAGEMENT SYSTEM (SMS)

### A. CAS MANDATORY REQUIREMENTS

- Time Stamping:** All logs shall be stamped with date and time. The system shall not allow altering or modification of any logs. There shall be no facility for the distributor/users to purge logs.
- Activation and Deactivation:** No access/login IDs/user interface/application shall be provided to the distributor of television channels to execute any commands, including but not limited to, activation/de-activation, bouquet creation/modification/deletion, etc., directly from CAS by bypassing SMS:  
Provided that, if any activity has been carried directly from CAS for trouble shooting; such an exception shall be identified through the synchronization mismatch report. Further, for any activity outside the normal channel/route of SMS-based commands, a secure log shall be maintained and made available on request to the audit or testing agency for scrutiny.
- SMS and CAS Integration:** Each instance of the activity carried out at SMS pertaining to CAS shall be recorded in the logs/reports of CAS, along with date and time stamp.
- Set Top Box (STB) Operation: Upon deactivation of any subscriber** from the SMS, all program/services, including all free- to-air (FTA) and pay channels and platform services, shall be denied to that subscriber:  
Provided that **there shall be a facility** for the distribution platform operator (DPO) to continue to provide B-mail/scroll messages that enable a consumer to get the information in relation to the recharge/payment of the pending dues.
- Channel Addition:** CAS shall be capable to add/modify channels/bouquets as may be required from time to time.
- Logical Channel Number (LCN):** CAS shall not

का लिखित नोटिस देने के बाद अपने टेलीविजन चैनल के सिगनल को डिस्कनेक्ट करने का निर्देश दे सकता है।

## कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस)

### ए. सीएएस अनिवार्य आवश्यकतायें

- टाइम स्टैम्पिंग:** सभी लॉग पर तारीख और समय की मुहर लगेगी। सिस्टम किसी भी लॉग को बदलने या संशोधित करने की अनुमति नहीं देगा। वितरकों/उपयोगकर्ताओं के लिए लॉग्स को साफ करने की कोई सुविधा नहीं होगी।
- एक्टिवेशन और डि-एक्टिवेशन:** टेलीविजन चैनलों के वितरकों को किसी भी कमांड को निष्पादित करने के लिए कोई एक्सेस/लॉगिन, आईडी/यूजर इंटरफेस/एप्लिकेशन प्रदान नहीं किया जायेगा, जिसमें एक्टिवेशन/डि-एक्टिवेशन, बुके निर्माण/संशोधन/विलोपन शामिल है लेकिन यह एसएमएस को दरकिनार करके सीधे सीएएस तक सीमित नहीं है: वशर्ते, यदि कोई गतिविधि सीधे एसएमएस से समस्या निवारण के लिए की गयी हो, इस तरह के अपवाद को सिंक्रोनाइजेशन मिसमैच रिपोर्ट के माध्यम से पहचाना जायेगा। इसके अलावा, एसएमएस आधारित कमांड के सामान्य चैनल/मार्ग के बाहर किसी भी गतिविधि के लिए, एक सुरक्षित लॉग बनाये रखा जायेगा और जांच के लिए ऑडिट या परीक्षण एजेंसी के अनुरोध पर उपलब्ध कराया जायेगा।
- एसएमएस और सीएएस एकीकरण:** सीएएस से संबंधित एसएमएस पर की गयी गतिविधि के प्रत्येक उदाहरण को सीएएस के लॉग/रिपोर्ट में दिनांक और समय स्टैप के साथ दर्ज किया जायेगा।
- सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) ऑपरेशन:** एसएमएस से किसी भी ग्राहक के निष्क्रिय होने पर, सभी फ्री-टू-एयर (एफटीए) और पे चैनलों और प्लेटफॉर्म सेवाओं सहित सभी कार्य क्रम/सेवाओं को उस ग्राहक को नहीं दिया जायेगा: वशर्ते कि वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटर (डीपीओ) के लिए बी-मेल/स्कॉल संदेश प्रदान करना जारी रखने की सुविधा होगी जो उपभोक्ता को बकाया राशि के रिचार्ज/भुगतान के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- चैनल जोड़ना:** सीएएस समय-समय पर आवश्यकतानुसार चैनल/बुके जोड़ने/संशोधित करने में सक्षम होगा।
- लॉजिकल चैनल नंबर (एलसीएन):** सीएएस एक से अधिक

**support carriage of channel with** same name or nomenclature in the distributor's network served by each headend under **more than one LCN**, and another channel descriptor. Further, each channel available in CAS shall be uniquely mapped with channels available in SMS.

7. **Hybrid STB:** In case a distributor of television channels has deployed hybrid STBs, **CAS shall ensure that the over-the-top (OTT) App does not get access to the linear Television channels, and the CAS does not get access to channels delivered through OTT platform:**

Provided that, all the mandatory requirements for CAS shall be complied by the hybrid STBs.

8. **CAS Reports:**

- (a) CAS database shall have the reports of white list of card/STBs along with details such as active/inactive status, with the date and time stamp.
- (b) CAS system shall be capable of generating reports pertaining to the channel/bouquet subscriptions and active/deactivated subscribers, or any combination thereof; of sharing the same with SMS as a scheduled activity, and also upon request, including, but not limited to, the following details:
  - (i) STB Number
  - (ii) Viewing Card (VC) Number [or, in case of card-less CAS, chip identification (ID) or virtual card number of the STB]
  - (iii) Product Code pertaining to channels/bouquets available on the platform
  - (iv) Start date of entitlement
  - (v) End date of entitlement
  - (vi) Status of card (Active/Inactive)
- (c) It shall be possible to generate following reports from the logs of CAS:
  - (i) STB-VC pairing/de-pairing
  - (ii) STB activation/deactivation
  - (iii) Channel assignment to STB
  - (iv) Report of the activation/deactivations of a particular channel for a given period

9. **CAS Database and tables:**

- a) There shall not be any active unique subscriber outside the database tables. Further, there shall

एलसीएन और दूसरे चैनल डिस्क्रिप्टर के तहत प्रत्येक हेडएंड द्वारा वितरित वितरक के नेटवर्क में समान नाम या नामकरण वाले **चैनल के कैरिज का समर्थन** नहीं करेगा। इसके अलावा, सीएस में उपलब्ध प्रत्येक चैनल को एसएमएस में उपलब्ध चैनलों के साथ विशिष्ट रूप से मैच किया जायेगा।

7. **हाईब्रिड एसटीबी:** यदि टेलीविजन चैनलों के वितरक ने हाई ब्रिड एसटीबी लगाये हैं तो **सीएस यह सुनिश्चित करेगा कि ओवर-द-टॉप (ओटीटी) ऐप को लिनियर टेलीविजन चैनलों तक पहुंच नहीं मिले, और सीएस को ओटीटी प्लेटफार्म के माध्यम से वितरित चैनलों तक पहुंच नहीं मिलती हो:**

वशत कि सीएस के लिए सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन हाईब्रिड एसटीबी द्वारा किया जायेगा।

8. **सीएस रिपोर्ट:**

- (ए) सीएस डेटाबेस में दिनांक और समय स्टैम्प के साथ एक्टिव/डि-एक्टिव स्थिति जैसे वितरण के साथ कार्ड/एसटीबी की व्हाइट सूची की रिपोर्ट होगी।
- (बी) सीएस प्रणाली चैनल/बुके सब्सक्रिप्शन और एक्टिव/डि-एक्टिव ग्राहकों या उसके किसी भी संयोजन से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने में सक्षम होगी, एक अनुसूचित गतिविधि के रूप में एसएमएस के साथ साझा करने के लिए और अनुरोध पर निम्नलिखित विवरण सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है:
  - (1) एसटीबी नंबर
  - (2) व्यूइंग कार्ड (वीसी) नंबर (या कार्ड रहित सीएस, चिप पहचान (आईडी) या एसटीबी के वर्चुअल कार्ड नंबर के मामले में)
  - (3) प्लेटफार्म पर उपलब्ध चैनलों/बुके से संबंधित उत्पाद कोड
  - (4) पात्रता की आरंभ तिथि
  - (5) पात्रता की समाप्ति तिथि
  - (6) कार्ड की स्थिति (एक्टिव/इनएक्टिव)
- (सी) सीएस के लॉग से निम्नलिखित रिपोर्ट तैयार करना संभव होगा:
  - (1) एसटीबी-वीसी पेयरिंग
  - (2) एसटीबी एक्टिव/इनएक्टिव करना
  - (3) एसटीबी को चैनल असाइनमेंट
  - (4) एक निश्चित अवधि के लिए किसी विशेष चैनल के एक्टिवेशन/डि-एक्टिवेशन होने की रिपोर्ट

9. **सीएस डेटाबेस और टेबल**

- (ए) डेटाबेस टेबल के बाहर कोई सक्रिय यूनिक सब्सक्राइबर नहीं



## POLICY AMENDMENT

not be an option to split CAS database for creation of more than one instance by a DPO or a vendor.

- b) CAS must support the following options with reference to uploading of unique access (UA)/viewing card (VC) details in CAS database:
- a secure un-editable file of card details, as purchased by the distributor, to be uploaded by the CAS vendor on the CAS Server directly, or,
  - if it is uploaded in any other form, UA/VC in CAS database shall be captured in logs.
  - Further, CAS shall support an automated, application programming interface (API)-based mechanism to populate such UA/VC details in the SMS, without any manual intervention.

10. **CAS Logs:** CAS logs such as the user command, configuration, channel/bouquet creation, modification, etc., shall be kept in a secured and un-editable way.
11. **CAS Backup Server:** In the event of provisioning of a backup server, logs of all activities carried out in main server shall be concurrently copied into the backup server:

Provided that a log of all such instances shall be maintained along with date and time stamp, where the backup server has been used as the main server:

Provided further that the main and backup server shall always be in sync with regard to the key data such as subscription data, STB UA/VC details, entitlement level information, etc.

12. **CAS-STB addressability:**
- CAS shall be capable of providing STB/viewing card information with the current date, time, and name/logo of the distributor of television channels.
  - CAS shall be capable of individually addressing subscribers, for the purpose of generating the reports, on channel by channel and STB by STB basis.
  - CAS shall be capable of tagging and blacklisting VC numbers and STB numbers that are involved in piracy, to ensure that such STB/ VC cannot be redeployed.

होना चाहिए। इसके अलावा, डीपीओ या विक्रेता द्वारा एक से अधिक उदाहरण बनाने के लिए सीएस डेटाबेस को विभाजित करने का विकल्प नहीं होगा।

(बी) सीएस डेटाबेस में यूनिक एक्सेस (यूए)/व्यूइंग कार्ड (वीसी) वितरण अपलोड करने के संदर्भ में सीएस को निम्नलिखित विकल्पों का समर्थन करना चाहिए:

- कार्ड वितरण की एक सुरक्षित और गैर-संपादन योग्य फाइल, जिसके वितरक द्वारा खरीदा गया है जिसे सीएस विक्रेता द्वारा सीधे सीएस सर्वर पर अपलोड किया जायेगा, या
- यदि इसे किसी अन्य रूप में अपलोड किया जाता है तो सीएस डेटाबेस में यूए/वीसी को लॉग में दर्ज किया जायेगा।
- इसके अलावा सीएस विना किसी मानवीय हस्तक्षेप के एसएमएस में ऐसे यूए/वीसी वितरण भरने के लिए एक स्वचालित, एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) आधारित तंत्र का समर्थन करेगा।

10. **सीएस लॉग्स:** सीएस लॉग जैसाकि यूजर कमांड, कॉन्फिगरेशन, चैनल/बुक निर्माण, संशोधन आदि को सुरक्षित और गैर-संपादन योग्य तरीके से रखा जायेगा।

11. **सीएस बैकअप सर्वर:** एक बैकअप सर्वर के प्रावधान की स्थिति में, मुख्य सर्वर में किये गये सभी गतिविधियों के लॉग को एकसाथ बैकअप सर्वर में कॉपी किया जायेगा:

वर्तते कि ऐसे सभी उदाहरणों का एक लॉग दिनांक व समय स्टैप के साथ रखा जायेगा, जहां बैकअप सर्वर का उपयोग मुख्य सर्वर के रूप में किया गया है:

वर्तते यह भी कि मुख्य डेटा जैसे सब्सक्रिप्शन डेटा, एसटीवी यूए/वीसी वितरण, पात्रता स्तर की जानकारी आदि के संबंध में मुख्य और बैकअप सर्वर हमेशा समन्वयित रहेगा।

12. **सीएस-एसटीवी एड्रेसिबिलिटी:**

(ए) सीएस टेलीविजन चैनलों के वितरक की वर्तमान तिथि, समय और नाम/लोगो के साथ एसटीवी /व्यूइंग कार्ड की जानकारी प्रदान करने में सक्षम होगा।

(बी) सीएस, चैनल द्वारा चैनल पर और एसटीवी द्वारा एसटीवी आधार पर रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करने में सक्षम होगा।

(सी) सीएस चोरी में शामिल वीसी नंबरों और एसटीवी नंबरों को टैग और ब्लैकलिस्ट करने में सक्षम होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे एसटीवी/वीसी को फिर से तैनात नहीं किया जा सकता है।

## POLICY AMENDMENT

(d) CAS shall be capable of upgrading STBs over-the-air (OTA), so that the connected STBs can be upgraded.

13. **Access to Database:** CAS and SMS shall ensure that the access to database is available to authorized users only, and in “read only” mode only. Further, the database audit trail shall be permanently enabled.

*Explanation :* Database here refers to the database where data and log of all activities related to STB activation, deactivation, subscription data, STB UA/VC details, entitlement level information, etc., is being stored.

14. **Provision of à-la-carte channels or bouquet:**

(a) CAS (and SMS) shall be able to handle all the channels, made available on a platform, in à la carte mode.

(b) CAS (and SMS) shall have the capability to handle such number of broadcaster/DPO bouquets, as required by the DPO.

15. **CAS and SMS Server Separation:** CAS and SMS applications, along with their respective databases, shall be stored in such a way that they can be separately identified.

16. **Finger printing measures:**

(a) CAS shall support both covert and visible types of finger printing functionality.

(b) The fingerprinting shall be on the topmost layer of the video.

(c) The fingerprinting shall appear on the screen in all scenarios, such as menu, electronic programme guide (EPG), settings, blank screen, games, etc.

(d) The fingerprinting shall not get invalidated by use of any device or software.

(e) CAS shall have the capability to run fingerprinting at regular intervals (e.g., minimum of 2 fingerprints per hour on a 24x7x365 basis) and provide broadcasters with the fingerprint schedule on request.

(f) The fingerprinting shall be available on global as well as on individual STB basis.

17. **CAS Database (DB) Export:** CAS shall have a provision to export the database/report for reconciliation with the SMS database. Further, there shall be a provision of reconciliation through secure APIs/secure scripts.

(डी)सीएस एसटीवी को ओवर-द-एयर (ओटीए) अपग्रेड करने में सक्षम होगा, ताकि कनेक्टेड एसटीवी को अपग्रेड किया जा सके।

13. **डेटाबेस तक पहुंच:** सीएस और एसएमएस यह सुनिश्चित करेंगे कि डेटाबेस तक पहुंच केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है और केवल 'रीड ओनली' मोड में है। इसके अलावा डेटाबेस ऑडिट ट्रेल को स्थायी रूप से सक्षम किया जायेगा।

*स्पष्टीकरण :* यहां डेटाबेस उस डेटाबेस संदर्भित करता है जहां एसटीवी सक्रियण, निष्क्रियता, सदस्यता डेटा, एसटीवी यूए/वीसी विवरण, पात्रता स्तर की जानकारी आदि से संबंधित सभी गतिविधियों का डेटा और लॉग संग्रहीत किया जा रहा है।

14. **अला कार्टे चैनलों या बुके का प्रावधान:**

(ए) सीएस (और एसएमएस) एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराये गये सभी चैनलों को अला कार्टे मोड में संभालने में सक्षम होगा।

(बी) सीएस (और एसएमएस) में इतनी संख्या में प्रसारकों/डीपीओ बुके को संभालने की क्षमता होगी, जिसकी आवश्यकता डीपीओ को होगी।

15. **सीएस और एसएमएस सर्वर पृथक्करण:** सीएस और एसएमएस एप्लिकेशन उनके संबंधित डेटाबेस के साथ इस तरह से संग्रहीत किये जायेंगे कि उन्हें अलग से पहचाना जा सके।

16. **फिंगर प्रिंटिंग के उपाय:**

(ए) सीएस फिंगर प्रिंटिंग कार्यक्षमता के गुप्त और दृश्यमान दोनों प्रकार का समर्थन करेगा।

(बी) फिंगरप्रिंटिंग वीडियो की सबसे ऊपरी परत होगी।

(सी) फिंगरप्रिंटिंग सभी परिदृश्यों में स्क्रीन पर दिखाई देगी, जैसे मेनू इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी), सेटिंग्स, ब्लैक स्क्रीन, गेम आदि।

(डी) किसी भी उपकरण या सॉफ्टवेयर के उपयोग से फिंगरप्रिंटिंग अमान्य नहीं होगी।

(ई) सीएस में नियमित अंतराल पर फिंगर प्रिंटिंग चलाने की क्षमता होगी (उदाहरण के लिए 24x7x365 आधार पर प्रति घंटे न्यूनतम 2 फिंगरप्रिंट) और अनुरोध पर प्रसारकों को फिंगरप्रिंट शेड्यूल प्रदान करे।

(एफ) फिंगरप्रिंटिंग वैश्विक और साथ ही व्यक्तिगत एसटीवी आधार पर उपलब्ध होगी।

17. **सीएस डेटाबेस (डीबी) निर्यात:** सीएस के पास एसएमएस डेटाबेस के साथ मिलान के लिए डेटाबेस/रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने का प्रावधान होगा। इसके अलावा सुरक्षित एपीआई/सुरक्षित स्क्रिप्ट के माध्यम से समाधान का प्रावधान होगा।

## POLICY AMENDMENT

18. **Firewall Access:** CAS shall be accessible through a Firewall only.
19. **CAS Server Hardware:** CAS shall be deployed on hardened secure server hardware. CAS shall protect against any backdoors, malicious software deployments, and cyber security threats.
20. **De-entitlement of STB:** CAS should have the following features:
  - (a) The entitlement end date in CAS shall be equal to the entitlement end date in SMS, or,
  - (b) The entitlement end date in CAS shall be open and SMS shall manage entitlements based on the billing cycles and payments.

### B. SMS MANDATORY REQUIREMENTS

1. **Synchronization of the data of both CAS and SMS:**
  - (a) **CAS and SMS data shall be synchronized with each other.** There shall be a facility to trace data mismatch between CAS and SMS on periodic basis, to be made available during audits.
  - (b) SMS shall have a provision to generate synchronization report, with date and time, with the minimum fields as listed below:
    - (i) STB No.
    - (ii) VC No. (Or in case of card-less CAS, chip ID or virtual card number of the STB)
    - (iii) Product Code pertaining to à-la-carte channels and bouquets available on the platform
    - (iv) Start Date of entitlement
    - (v) End Date of entitlement
    - (vi) Status of card (Active/Inactive)
  - (c) The file output of CAS shall be processed by SMS system to compare and generate a 100% match or mismatch error report.
2. **Channel/Bouquet management:** SMS shall support the following essential requirements:
  - (a) Create and manage all channels and bouquets along with the relevant details such as name, tariff, broadcaster, or DPO bouquet, etc.
  - (b) Manage changes in the channel/bouquet, as may be required, from time to time.
  - (c) Link the products' IDs for à-la-carte channels and bouquets (Single and Bulk) created in CAS with the product information being managed in

18. **फायरवॉल एक्सेस:** सीएस को केवल फायरवॉल के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
19. **सीएस सर्वर हार्डवेयर:** सीएस को कठोर सुरक्षित सर्वर हार्डवेयर पर तैनात किया जायेगा। सीएस किसी भी पिछले दरवाजे, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर परिनियोजन और साइबर सुरक्षा खतरों से रक्षा करेगा।
20. **एसटीबी से वंचित करना:** सीएस में निम्नलिखित विशेषतायें होनी चाहिए:
  - (ए) सीएस में पात्रता समाप्ति तारीख, एसएमएस में पात्रता समाप्ति तिथि के बराबर होगी, या
  - (बी) सीएस में पात्रता समाप्ति तिथि खुली होगी और एसएमएस बिलिंग चक्रों और भुगतानों के आधार पर पात्रता का प्रबंधन करेगा।

### बी. एसएमएस अनिवार्य आवश्यकतायें:

1. **सीएस और एसएमएस दोनों के डेटा सिंक्रनाइजेशन:**
  - (ए) **सीएस और एसएमएस डेटा एक दूसरे के साथ सिंक्रनाइज किये जायेंगे।** समय समय पर सीएस व एसएमएस के बीच डेटा वेमेल का पता लगाने की सुविधा होगी, जिसे ऑडिट के दौरान उपलब्ध कराया जायेगा।
  - (बी) एसएमएस में नीचे सूचीबद्ध न्यूनतम फ़िल्ड के साथ, दिनांक और समय के साथ, सिंक्रनाइजेशन रिपोर्ट जनरेट करने का प्रावधान होगा:
    - (1) एसटीबी नंबर
    - (2) वीसी नंबर (या कार्ड रहित सीएस, चिप, आईडी या एसटीबी के वर्चुअल कार्ड नंबर के मामले में)
    - (3) प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ए-ला-कार्टे चैनलों और बुके से संबंधित उत्पाद कोड
    - (4) पात्रता की आरंभ तिथि
    - (5) पात्रता की समाप्ति तिथि
    - (6) कार्ड की स्थिति (सक्रिय/निष्क्रिय)
  - (सी) सीएस के फाइल आउटपुट को 100% मिलान या वेमेल त्रुटि रिपोर्ट की तुलना करने और उत्पन्न करने के लिए एसएमएस सिस्टम द्वारा संसाधित किया जायेगा।
2. **चैनल/बुके प्रबंधन: एसएमएस निम्नलिखित आवश्यकताओं का समर्थन करेगा:**
  - (ए) नाम, टैरिफ, ब्रॉडकास्टर या डीपीओ बुके इत्यादि जैसे प्रासांगिक विवरणों के साथ सभी चैनल और बुके बनायें और प्रबंधित करें।
  - (बी) समय समय पर आवश्यकतानुसार चैनल/बुके में परिवर्तन प्रबंधित करें।
  - (सी) एसएमएस और सीएस एकीकरण के सुचारू संचालन के लिए एसएमएस में प्रबंधित की जा रही उत्पाद की जानकारी

## POLICY AMENDMENT

SMS, for smooth working of SMS and CAS integration.

- (d) Management of historical Data of Product name, i.e., Broadcasters (name), maximum retail price (MRP), distributor retail price (DRP).
3. **Network Capacity Fee (NCF) Policy Creation:** SMS shall support all Network Capacity Fee related requirements mandated by the applicable tariff order.
4. **Bill/Invoice Generation:** SMS shall be capable of generating proper subscriber bill/invoice with explicit details of NCF charges, Pay Channels charges (with clear itemized details of à-la-carte channel cost and bouquet costs), rental charges for STB (if any), other applicable charges, including Goods and Services Tax (GST).
5. **Password Policy Creation for Users:** SMS shall have a defined password policy, with minimum length criteria and composition (upper and lower-case characters, numeric, alphabets or special characters), forced password changes or any other appropriate mechanisms or combinations thereof.
6. **Management of Logs:**
- (a) SMS shall have the facility to provide user detail logs with the ID of users on each login event.
- (b) SMS shall have the provision of generating the user activity log report to enable tracking users' work history. It shall not be allowed to delete the records from the log.
- (c) All logs shall be stamped with date and time and the system shall not allow altering or modifying any logs.
- (d) The logs shall be maintained for a period as specified in Schedule III or at least two audit cycles, whichever is later.
7. **Channel subscription report:** SMS shall be able to provide the total counts of monthly subscribers of channels including both à la carte and bouquet subscriptions.
8. **SMS Database and tables:**
- (a) There shall not be any active unique subscriber outside the database tables.
- (b) SMS shall not provide an option to split SMS database or for creation of more than one instance.

के साथ सीएसएम में बनाये गये ए-ला-कार्टे चैनलों और बुके (एकल व थोक) के लिए उत्पाद आईडी लिंक करें।

- (डी) उत्पाद नाम, यानी ब्रॉडकास्टर्स (नाम), अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), वितरक खुदरा मूल्य (डीआरपी) के ऐतिहासिक डेटा का प्रबंधन।
3. **नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ) नीति निर्माण:** एसएमएस लागू टैरिफ आदेश द्वारा अनिवार्य सभी नेटवर्क क्षमता शुल्क संबंधी आवश्यकताओं का समर्थन करेगा।
4. **बिल/इनवॉयस बनाना:** एसएमएस एनसीएफ शुल्क, पे चैनल शुल्क (ए ला कार्टे चैनल लागत और बुके लागत के स्पष्ट मद में विवरण के साथ), एसटीवी के लिए किराये का शुल्क के स्पष्ट विवरण के साथ उचित ग्राहक बिल/चालान उत्पन्न करने में सक्षम होगा। (यदि कोई हो), जिसमें माल व सेवा कर (जीएसटी) सहित अन्य शुल्क लागू होगा।
5. **उपयोगकर्ताओं के लिए पासवर्ड नीति निर्माण:** एसएमएस में न्यूनतम लंबाई मानदंड और संरचना (ऊपरी व निचले केस वर्ण, संख्यात्मक, अक्षर या विशेष वर्ण), मजबूर पासवर्ड परिवर्तन या कोई अन्य उपयुक्त तंत्र या संयोजन के साथ एक परिभाषित पासवर्ड नीति होगी।
6. **लॉग का प्रबंधन:**
- (ए) एसएमएस में प्रत्येक लॉगिन घटना पर उपयोगकर्ताओं की आईडी के साथ उपयोगकर्ता विवरण लॉग प्रदान करने की सुविधा होगी।
- (बी) एसएमएस में उपयोगकर्ता के कार्य इतिहास को ट्रैक करने में सक्षम करने के लिए उपयोगकर्ता गतिविधि लॉग रिपोर्ट तैयार करने का प्रावधान होगा। इसे लॉग से रिकॉर्ड हटाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (सी) सभी लॉग पर तारीख और समय की मुहर लगेगी और सिस्टम किसी भी लॉग को बदलने या संशोधित करने की अनुमति नहीं देगा।
- (डी) अनुसूची 3 में निर्दिष्ट अवधि के लिए या कम से कम दो ऑडिट चक्रों, जो भी वाद में हो, के लिए लॉग बनाये रखा जायेगा।
7. **चैनल सदस्यता रिपोर्ट:** एसएमएस अला कार्टे और बुके सदस्यता दोनों सहित चैनलों के मासिक ग्राहकों की कुल संख्या प्रदान करने में सक्षम होगा।
8. **एसएमएस डेटाबेस और टेबल:**
- (ए) डेटाबेस टेबल के बाहर कोई सक्रिय यूनिक ग्राहक नहीं होगा।
- (बी) एसएमएस, एसएमएस डेटाबेस को विभाजित करने या एक से अधिक उदाहरण बनाने का विकल्प प्रदान नहीं करेगा।



## POLICY AMENDMENT

- (c) SMS shall have the provision to enable or disable channel (à-la-carte channel or bouquet of channels) selection by subscribers either through website or an application through interface provided by the distributor platform operator.
- (d) SMS shall be capable of capturing the following information required for audit or otherwise:
- Bouquet à la carte status change history
  - Bouquet composition change history
  - Change in status of connection (primary to secondary and vice versa)
9. **Firewall Access:** SMS shall be accessed through a Firewall.
10. **STB-VC pairing:** STB and VC shall be paired from the SMS to ensure security of channel.
11. **SMS-STB addressability:** The SMS shall be capable of individually addressing subscribers, for the purpose of generating the reports, on channel by channel and STB by STB basis.

### C. CAS DESIRABLE REQUIREMENTS:

#### 1. Message Queue:

- (a) In the event of unsuccessful transmission of messages due to network failure (for instance, due to power failure), the head-end should have an option to queue up the messages. Further, there should be a provision to retry them at specified intervals using additive back off retrieval timings.
- (b) In the event of unsuccessful deliveries of the messages, the life of the messages should be specifiable.

#### 2. Geographical Blackout: CAS shall have the feature of geographical blackout.

*Explanation :* Geographical blackout is the ability of CAS to blackout a particular region based on the postal index number (PIN) Codes [Geographic Area Code], if required by government agencies or for other reasons.

#### 3. After-Sales Service Support: The required software and hardware support should be available to the distributor of the television channels' installations from the CAS vendor's support teams located in India. The support should be such as to ensure the CAS system with 99.99% uptime and availability.

(सी) एसएमएस में ग्राहकों द्वारा वेबसाइट या एप्लिकेशन के माध्यम से वितरक प्लेटफॉर्म ऑपरेटर द्वारा प्रदान किये गये इंटरफेस के माध्यम से चयन को सक्षम या असक्षम करने का प्रावधान होगा।

(डी) एसएमएस ऑडिट या अन्यथा के लिए आवश्यक निम्नलिखित जानकारी को कैप्चर करने में सक्षम होगा:

(1) बुके ए ला कार्टे स्थिति परिवर्तन इतिहास

(2) बुके संरचना परिवर्तन इतिहास

(3) कनेक्शन की स्थिति में परिवर्तन (प्राथमिक से माध्यमिक और इसके विपरीत)

(9) **फायरवॉल एक्सेस:** एसएमएस को फायरवॉल के माध्यम से एक्सेस किया जायेगा।

(10) **एसटीबी-वीसी पेयरिंग:** चैनल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसटीबी और वीसी को एसएमएस से जोड़ा जायेगा।

(11) **एसएमएस-एसटीबी एड्रेसिबिलिटी:** एसएमएस चैनल द्वारा चैनल पर और एसटीबी द्वारा एसटीबी आधार पर रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करने में सक्षम होगा।

### सी. सीएएस वांछनीय आवश्यकतायें:

#### 1. मेसेज क्यू:

(ए) नेटवर्क विफलता के कारण (उदाहरण के लिए विजली की विफलता के कारण) मेसेज के असफल ट्रांसमिशन की स्थिति में हेडएंड में मेसेजों को कतारबद्ध करने का विकल्प होना चाहिए। इसके अलावा एडिटिव बैक ऑफ रिट्रियल टाइमिंग का उपयोग करके निर्दिष्ट अंतराल पर उन्हें पुनः प्रयास करने का प्रावधान होना चाहिए।

(बी) मेसेज के असफल वितरण की स्थिति में, मेसेजों की समयवधि निर्दिष्ट होनी चाहिए।

#### 2. भौगोलिक ब्लैक आउट: सीएएस में भौगोलिक ब्लैक आउट की विशेषता होगी।

*स्पष्टीकरण :* भौगोलिक ब्लैकआउट वह क्षमता है जिसके तहत सीएएस की पोस्टल इंडेक्स (पिन) कोड (भौगोलिक क्षेत्र कोड) के आधार पर किसी विशेष क्षेत्र को ब्लैक आउट करने की क्षमता है, यदि ऐसा करना सरकारी एजेंसियों द्वारा या अन्य कारणों से आवश्यक हो।

#### 3. बिक्री के बाद सेवा समर्थन: आवश्यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर समर्थन सीएएस विक्रेता की सहायता टीमों से टेलीविजन चैनलों के प्रतिष्ठानों के वितरक के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर समर्थन उपलब्ध होना चाहिए। समर्थन ऐसा होना चाहिए कि 99.99% अपटाइम और उपलब्धता के साथ सीएएस प्रणाली

# POLICY AMENDMENT

The systems should have sufficient provisions for backup systems to ensure quality of service and uptime.

*Explanation :*

- (i) The requirement for hardware support should be applicable, only if the hardware is directly or indirectly provided by the CAS vendor.
- (ii) The actual service-level arrangement for the system support shall be governed by the mutual agreement / service-level agreement (SLA) between the service provider, i.e., CAS vendor and the customer (DPO).
- (iii) The signatories to the said agreement may mutually choose lenient/stringent service-level guarantee.

## D. SMS DESIRABLE REQUIREMENTS

### 1. Data Verification:

- (a) SMS should have the facility to carry out auto-reconciliation of channels/à la carte and all bouquets with their respective ID created in SMS with CAS configuration, and the variance report should be available in the system with logs.

### 2. SMS Reports: SMS should have a provision of generating the following reports pertaining to STB/VC:

- (a) White list of STB/VC along with active/inactive status
- (b) Faulty STB/VC – repairable and beyond repairable
- (c) Warehouse fresh stock
- (d) In stock at local cable operator (LCO) end
- (e) Blacklist
- (f) Deployed with activation status
- (g) Testing/demonstration STB/VC with location

### 3. Audit-related requirements: SMS should have the capability to capture below-mentioned information that may be required for audit and otherwise:

- a. Subscriber related:
  - (i) Subscriber contact details change history
  - (ii) Connection count history
  - (iii) Transition of connection between Disconnected / Active / Temporary Disconnected
  - (iv) Subscription change history

सुनिश्चित हो सके। सेवा की गुणवत्ता और अपटाइम सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में बैकअप सिस्टम के लिए पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए।

*स्पष्टीकरण :*

- (1) हार्डवेयर समर्थन की आवश्यकता तभी लागू होनी चाहिए जब हार्डवेयर सीएस विक्रेता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया गया हो।
- (2) सिस्टम समर्थन के लिए वास्तविक सेवा स्तरीय व्यवस्था सेवा प्रदाता, यानी सीएस विक्रेता और ग्राहक (डीपीओ) के बीच आपसी समझौते/सेवास्तरीय समझौते (एसएलए) द्वारा शासित होगी।
- (3) उक्त समझौते के हस्ताक्षरकर्ता पारस्परिक रूप से उदार/कठोर सेवा-स्तरीय गारंटी का चयन कर सकते हैं।

## डी. एसएमएस: वांछनीय आवश्यकतायें

### 1. डेटा वेरिफिकेशन:

- (ए) एसएमएस में सीएस कॉन्फिगरेशन के साथ एसएमएस में बनाये गये अपने संबंधित आईडी के साथ चैनलों/ला कार्टे और सभी बुके के ऑटो समाधान करने की सुविधा होनी चाहिए और सिस्टम में लॉग के साथ भिन्नता रिपोर्ट उपलब्ध होनी चाहिए।

### 2. एसएमएस रिपोर्ट: एसएमएस में एसटीबी/वीसी से संबंधित निम्नलिखित रिपोर्ट तैयार करने का प्रावधान होना चाहिए:

- (ए) सक्रिय/निष्क्रिय स्थिति के साथ एसटीबी/वीसी की पूरी सूची
- (बी) खराब एसटीबी/वीसी-मरम्मत योग्य व मरम्मत नहीं हो सकने वाले
- (सी) वेयरहाउस फ्रेश स्टॉक
- (डी) स्थानीय केवल ऑपरेटरों (एलसीओ) के पास स्टॉक
- (ई) ब्लैकलिस्ट
- (एफ) एक्टिवेशन स्थिति के साथ लगाना
- (जी) स्थान के साथ परीक्षण/प्रदर्शन एसटीबी/वीसी

### 3. ऑडिट संबंधित आवश्यकतायें: एसएमएस में नीचे दी गयी जानकारी को कैप्चर करने की क्षमता होनी चाहिए जो ऑडिट के लिए आवश्यक हो सकती है और अन्यथा:

- ए. सब्सक्राइबर संबंधित:
  - (1) सब्सक्राइबर संपर्क विवरण इतिहास बदलते हैं
  - (2) कनेक्शन गिनती का इतिहास
  - (3) डिस्कनेक्ट/सक्रिय/अस्थायी डिस्कनेक्ट के बीच कनेक्शन का संक्रमण
  - (4) सब्सक्राइबर बदलाव का इतिहास

## POLICY AMENDMENT

- b. LCO related:
- LCO Contact details change history
  - LCO and DPO sharing change history
- c. Product (Bouquet/à-la-carte channel) related:
- Broadcaster à-la-carte relation
  - Bouquet name change history
  - À la carte name change history
  - Bouquet à-la-carte channel rate change history
- d. STB/Smartcard related:
- Change in location history
  - Change in status (Active/Damaged/Repaired)
4. **User Authentication:** SMS should have the capability to authenticate its subscribers through registered mobile number (RMN) through one-time password (OTP) system.
5. **Miscellaneous:** SMS should have the provision to support the following miscellaneous requirements:
- List of à-la-carte channels and bouquets, digital headend (DHE) and Zone-wise: Provision to support/manage Zone/ Sub-Headend-wise list of à-la-carte channels and bouquets, in sync with the list available in CAS.
  - Revenue Sharing Between DPO and LCO: Provision to define and calculate DPO and LCO revenue share separately for distribution fee as well as for NCF, as per the agreement executed between them, with the option to maintain historical information can be very useful and is desirable.
  - LCO invoicing with GST: Provision to generate invoicing under multiple GST registration numbers of LCO's and to comply with GST invoicing norms as applicable.
  - Product(à-la-carte channels and bouquets)-wise Renewal and Reversal setting for the Subscriber Account: Provision to allow renewal of a product to a subscriber after the expiry date of a product, and provision to auto-calculate and refund the amount to a subscriber if he discontinues a product midterm. These requirements may be configurable on selective products, as required by the DPOs as per their business plans.
- बी. एलसीओ संबंधित
- एलसीओ संपर्क विवरण इतिहास बदलते हैं
  - एलसीओ और डीपीओ इतिहास बदलते हैं
- सी. उत्पाद (बुके/ए-ला-कार्टे चैनल) संबंधित
- ब्रॉडकास्ट ए-ला-कार्टे संबंध
  - बुके नाम परिवर्तन इतिहास
  - ए ला कार्टे वाम परिवर्तन इतिहास
  - बुके ए-ला-कार्टे चैनल दर परिवर्तन इतिहास
- डी. एसटीबी/स्मार्टकार्ड संबंधित:
- लोकेशन इतिहास में बदलाव
  - स्थिति में परिवर्तन (सक्रिय/क्षतिग्रस्त/मरम्मत)
4. **उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण:** एसएमएस में वन टाइप पासवर्ड (ओटीपी) प्रणाली के माध्यम से पंजीकृत मोबाइल नंबर (आरएमएन) के माध्यम से अपने ग्राहकों को प्रमाणित करने की क्षमता होनी चाहिए।
5. **विविध:** एसएमएस में निम्नलिखित विविध आवश्यकताओं का समर्थन करने का प्रावधान होना चाहिए:
- (ए) ए-ला-कार्टे चैनलों और बुके, डिजिटल हेडएंड (डीएचआई) और क्षेत्र के हिसाब से सूची: ए ला कार्टे चैनलों और बुके की जोन/सब हेडएंड वार सूची का समर्थन/प्रबंधन करने का प्रावधान, के साथ समन्वयित सीएसएस में उपलब्ध सूची।
  - (बी) डीपीओ और एलसीओ के बीच राजस्व बंटवारा: वितरण शुल्क के साथ-साथ एनसीएफ के लिए अलग अलग डीपीओ और एलसीओ राजस्व हिस्सेदारी को परिभाषित और गणना करने का प्रावधान, उनके बीच निष्पादित समझौते के अनुसार ऐतिहासिक जानकारी बनाये रखने के विकल्प के साथ बहुत उपयोगी हो सकता है और ये इच्छित है।
  - (सी) जीएसटी के साथ एलसीओ चालान: एलसीओ के कई जीएसटी पंजीकरण संख्या के तहत चालान पैदा करने और लागू जीएसटी चालान मानदंडों का पालन करने का प्रावधान।
  - (डी) उत्पाद (ए-ला-कार्टे चैनल और बुके)-वार सब्सक्राइबर खाते के लिए नवीनीकरण और रिवर्सल सेटिंग: किसी उत्पाद की समाप्ति तिथि के बाद ग्राहक को उत्पाद के नवीनीकरण की अनुमति देने का प्रावधान और ऑटो गणना करने का प्रावधान और यदि ग्राहक किसी उत्पाद का इस्तेमाल बीच में ही बंद कर देता है तो उसे राशि वापस कर दे। इन आवश्यकताओं को चुनिंदा उत्पादों पर कॉन्फिगर किया जा सकता है, जैसाकि डीपीओ द्वारा उनकी व्यावसायिक योजनाओं के अनुसार आवश्यक है।

## POLICY AMENDMENT

- (e) Product (à-la-carte channels and bouquets)-wise Reversal setting for LCO Account: Provision to calculate and refund the amount due to LCO, if he or the subscriber discontinues a product midterm.
- (f) Product (à-la-carte channels and bouquets) Tenure-wise LCO and Subscriber Discount Scheme/Free Days Scheme: Provision to create Discount Scheme and Free-day scheme for LCO and Subscriber, based on the duration (Tenure) of the product subscription.
- (g) Calendar/Activity Scheduling: Provision to auto-schedule activities like STB activation/deactivation, à-la-carte channels and bouquets addition/removal, channel/bouquet composition modification, etc.
- (h) Bulk Channel/Bouquet Management: Provision to perform bulk activity of à-la-carte channels and bouquets addition and removal on all or a designated group of STBs.
- (i) Token-number-based reports: Provision to download multiple generated reports with the help of token number, such as audit reports with different intervals.
- (j) Third-Party Integration: Provision to support integration with relevant third-party systems, such as, payment gateway integrations, interactive voice response (IVR) Integrations, SMS Gateway Integrations, etc.
- k) Bill payment and reconciliation feature: Provision for bill payment and reconciliation (in case a DPO is running service in post-paid mode).
- (ई) एलसीओ खाते के लिए उत्पाद (ए-ला-कार्टे चैनल और बुके) वार रिवर्सल सेटिंग: एलसीओ के कारण राशि की गणना और वापसी के प्रावधान, यदि वह या ग्राहक किसी उत्पाद को बीच में ही बंद कर देता है।
- (एफ) उत्पाद (ए-ला-कार्टे चैनल और बुके) कार्यकाल-वार एलसीओ और सब्सक्राइबर छूट/मुफ्त दिन योजना: एलसीओ और सब्सक्राइबर के लिए छूट योजना और फ्री-डे योजना बनाने का प्रावधान, अवधि (कार्यकाल) के आधार पर उत्पाद सदस्यता।
- (जी) कैलेंडर/गतिविधि निर्धारण: एसटीबी सक्रियण/निष्क्रियता, अ-ला-कार्टे चैनल और बुके जोड़ना/निकालना/चैनल/बुके संरचना संशोधन आदि जैसे ऑटो शेड्यूल गतिविधियों का प्रावधान।
- (एच) थोक चैनल/बुके प्रबंधन: सभी या एसटीबी के एक निर्दिष्ट समूह पर अला कार्टे चैनलों और बुके को जोड़ने और हटाने की थोक गतिविधि करने का प्रावधान।
- (आई) टोकन नंबर आधारित रिपोर्ट: टोकन नंबर की मदद से कई जेनरेट की गयी रिपोर्ट को डाउनलोड करने का प्रावधान, जैसे अलग-अलग अंतराल के साथ ऑडिट रिपोर्ट।
- (जे) तीसरा पक्ष एकीकरण: प्रासंगिक तीसरे-पक्ष प्रणालियों के साथ एकीकरण का समर्थन करने का प्रावधान, जैसे पेमेंट गेटवे एकीकरण, इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स (आईवीआर) एकीकरण, एसएमएस गेटवे एकीकरण आदि।
- (के) बिल भुगतान और समाधान सुविधा: बिल भुगतान और समाधान के लिए प्रावधान (यदि कोई डीपीओ पोस्ट पेड मॉड में सेवा चला रहा है)।

### INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY



... You Know What You Are Doing  
But Nobody Else Does

**ADVERTISE NOW!**



- ❖ In-depth & Unbiased Market Information
- ❖ Technology Breakthroughs
- ❖ Comprehensive Circulation Across The Satellite & Cable TV Industry

Contact: Mob.: +91-7021850198 Email: [scat.sales@nm-india.com](mailto:scat.sales@nm-india.com)

# POLICY AMENDMENT

- (l) Generation of Reports: Provision to generate the following reports for operational purpose:
- All, selective and single boxes' current status with their first-time activation date.
  - Total number of à-la-carte channels and bouquets and STB expiring detail till given future date on the dashboard, according to the permission.
  - Today's fresh activation count, de-activation count, re-activation count, à-la-carte channels and bouquets addition/ removal count on dashboard, according to the permission.
  - Total active and inactive subscriber's details with multiple criteria (network-wise, à-la-carte channels and bouquets-wise, state-city wise and broadcaster-wise).

6. After-Sales Service Support: The required software and hardware support should be available to the distributor of the television channels' installations from the SMS vendor's support teams located in India. The support should be such as to ensure the SMS system with 99.99% uptime and availability. The systems should have sufficient provisions for backup systems to ensure quality of service and uptime:

*Explanation :*

- The requirement for hardware support should be applicable, only if the hardware is directly or indirectly provided by the SMS vendor.
- The actual service-level arrangement for the system support shall be governed by the mutual agreement/SLA between the service provider, i.e., SMS vendor and the customer (DPO).
- The signatories to the said agreement may mutually choose lenient/stringent service-level guarantee."

Note.

- The principal regulations were published in the Gazette of India, extraordinary, Part III, Section 4, vide notification No. 21-4/2016-B&CS dated 3rd March 2017 (1 of 2017).
- The principal regulations were amended vide notification No. 21-6/2019-B&CS dated 30th October 2019 (7 of 2019).
- The principal regulations were further amended vide notification No. 21-5/2019-B&CS dated 1st January 2020 (1 of 2020).
- The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Third Amendment) Regulations, 2021 (1 of 2021).

(एल) रिपोर्ट तैयार करना: परिचालन उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रिपोर्ट तैयार करने का प्रावधान:

- सभी, चुनिंदा और सिंगल बॉक्स की वर्तमान स्थिति उनकी पहली बार सक्रियण तिथि के साथ।
- अनुमति के अनुसार डैशबोर्ड पर दी गयी भविष्य की तारीख तक अ-ला-कार्टे चैनलों और बुके और एसटीवी की समाप्ति विवरण की कुल संख्या।
- अनुमति के अनुसार आज की ताजा सक्रियण गणना, डी-एक्टिवेशन गणना, पुनः सक्रियण गणना, ए-ला-कार्टे चैनल और बुके जोड़ने/हटाने की गिनती।
- कई मानदंडों के साथ कुल सक्रिय और निष्क्रिय सब्सक्राइबर का विवरण (नेटवर्क वार, ए-ला-कार्टे चैनल और बुके वार, राज्य शहर वार और प्रसारक वार)।

6. **बिक्री के बाद सेवा समर्थन:** आवश्यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर समर्थन भारत में स्थित एसएमएस विक्रेता की सहायता टीमों से टेलीविजन चैनलों के प्रतिष्ठानों के वितरक के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। समर्थन ऐसी होनी चाहिए जो 99.99% अपटाइम और उपलब्धता के साथ एसएमएस प्रणाली सुनिश्चित करे। सेवा की गुणवत्ता और अपटाइम सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में बैकअप सिस्टम के लिए पर्याप्त प्रावधान होने चाहिए:

*स्पष्टीकरण :*

- हार्डवेयर समर्थन की आवश्यकता तभी लागू होनी चाहिए, जब हार्डवेयर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एसएमएस विक्रेता द्वारा प्रदान किया गया हो।
- सिस्टम समर्थन के लिए वास्तविक सेवा स्तरीय व्यवस्था सेवा प्रदाता, यानी एसएमएस विक्रेता और ग्राहक (डीपीओ) के बीच आपसी समझौते/एसएलए द्वारा शासित होगी।
- उक्त समझौते के हस्ताक्षरकर्ता पारस्परिक रूप से उदार/कड़ी सेवास्तरीय गारंटी का चयन कर सकते हैं।

*ध्यान दें:*

- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 21-4/2016 वी एंड सीएस दिनांक 3 मार्च 2017 (2017 का 1) के तहत प्रकाशित किये गये थे।
- मूल विनियमों को अधिसूचना संख्या 21-6/2019 वी एंड सीएस दिनांक 30 अक्टूबर 2019 (2019 का 7) द्वारा संशोधित किया गया था।
- मूल विनियमों को अधिसूचना संख्या 21-5/2019 वी एंड सीएस दिनांक 1 जनवरी 2020 (2020 का 1) के द्वारा संशोधित किया गया था।
- व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (तीसरा संशोधन) विनियम 2021 (2021 का 1) के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।